Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/2863/2003/पाली

1. भोलाराम
2. जगदीश पुत्रगण छोगाराम जाति ब्राहमण निवासी कोलर तहसील देसूरी जिला पाली

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, देसूरी

–प्रत्यर्थी

2. शोभा पत्नी नारायण
3. ओमप्रकश पुत्र नारायण नाबालिग जरिये वली शोभा पत्नी नारायण समस्त जाति ब्राहमण निवासी कोलर तहसील देसूरी जिला पाली

–तरतीबी प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री ओ.एल. दवे, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री बिजेन्द्र चौधरी, अति. राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या–1
श्री सुनील गर्ग, अधिवक्ता तरतीबी प्रत्यर्थीगण संख्या–2 व 3

निर्णय

दिनांक 19.02.2018

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–10–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष ग्राम कोलर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1173, खसरा नम्बर 1233, खसरा नम्बर 1235, खसरा नम्बर 1254, खसरा नम्बर 1236 एवं खसरा नम्बर 1240 कुल रकबा 24.5हैक्टयर भूमि बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 19, 188, 88 एवं 92–ए के तहत प्रतिवादी प्रत्यर्थी संख्या–1 के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी पर वादीगण सम्वत् 2011 के पूर्व से काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में सिवाय चक दर्ज होने से वादीगण के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही की जा रही है। वादीगण विवादित आराजी पर सम्वत् 2011 से पूर्व से काबिज काश्त होने से खातेदार अधिकार प्राप्त हो चुकी है। अतः वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी राज्य सरकार को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से जवाबदावा पेश कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर दादरसी सहित दो विवाघक विपरित कर उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध की। तत्पश्चात् उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–03–2002 से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–10–2002 से खारिज कर दी। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि वादीगण अपीलार्थीगण विवादित आराजी पर सम्वत् 2011 से आज तक निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है, जिन्हें विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। उनका कथन है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने अपना कब्जा विवादित आराजी पर पूर्णतयाः दस्तावेजी साक्ष्य यथा राशि अदायगी की रसीद, खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2042-43-44 एवं 2045, धारा 91 के नोटिस एवं पटवारी एवं आईएलआर की मौका रिपोर्ट आदि से साबित कर दिया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त दस्तावेजी साक्ष्य की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि वादीगण विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने से पूर्व से काबिज काश्त होने से विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित करने में तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों को निरस्त किया जाकर वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जावे।

5. इसके विपरीत योग्य अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या-1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर

उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत् समवर्ती निर्णय पारित किये गये है, जिनमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तात्विक अनियमितता नहीं होने से पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उनका कथन है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने विवादित आराजी पर सम्वत् 2011 से लगातार काबिज काश्त होने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। उनका कथन है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने जो दस्तावेजी साक्ष्य यथा धारा 91 के नोटिस व जुर्माने की रसीदे प्रस्तुत की गयी है, वे विवादित आराजी से सम्बन्धित नहीं है तथा मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी से मिलकर नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से तैयार करवाई गयी है, जिसकी विश्वसनीयता संदिग्ध है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन समवर्ती निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष ग्राम कोलर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1173, खसरा नम्बर 1233, खसरा नम्बर 1235, खसरा नम्बर 1254, खसरा नम्बर 1236 एवं खसरा नम्बर 1240 कुल रकबा 24.5हैक्टयर भूमि बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 19, 188, 88 एवं 92–ए के तहत प्रतिवादी प्रत्यर्थी संख्या–1 के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी पर वादीगण सम्वत् 2011 के पूर्व से

काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में सिवाय चक दर्ज होने से वादीगण के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही की जा रही है। प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से जवाबदावा पेश कर कथन किया कि वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार किया तथा कथन किया कि विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में सिवायचक सरकारी भूमि दर्ज है, तथा विवादित आराजी पर वादीगण अतिक्रमी की हैसियत से काबिज काश्त है, जिनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी पर सम्वत् 2011 से लगातार काबिज काश्त होने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा खसरा परिवर्तनशील की नकले प्रस्तुत नहीं की, जिससे यह पूर्णतयाः प्रमाणित हो कि विवादित आराजी पर वादीगण सम्वत् 2011 से लगातार काबिज काश्त है। विवादित आराजी पर सम्वत् 2011 से लगातार कब्जा काश्त प्रमाणित कराये बिना वादीगण अपीलार्थीगण विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते है।

8. प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए तनकी संख्या–1 को वादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इसी प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप द्वितीय अपील के माध्यम से किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा इस आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

10. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–10–2002 एवं सहायक कलक्टर, देसूरी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–032–2002 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य